रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 118] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 31, 2011/ज्येष्ठ 10, 1933
No. 118] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 31, 2011/JYAISTHA 10, 1933

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

(साधारण बीमा कारोबार के समामेलन और अंतरण की योजना) विनियम, 2011

अधिसूचना

हैदराबाद, 20 मई, 2011

फा. सं. बी.वि.वि.प्रा. 1/55/2001.—बीमा विनियामक और विकास प्राधिकारण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) के परिच्छेद 6ए, 14 तथा 26 के साथ पठित बीमा निमय, 1938 (1938 का 4) के परिच्छेद 114ए के उप परिच्छेद (2) के खंड (जैड सी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग से, बीमा परामर्श समिति के परामर्श से एतत् द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाए जाते है, नामत:

1. **संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ**

i) इन विनियमों को बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (साधारण बीमा कारोबार के समामेलन और अंतरण की योजना) विनियम 2011 कहा जाएगा.

ii) ये सरकारी गजट में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे

iii) ये विनियम सरकार के पूर्ण स्वामित्व की उन कम्पनियों को छोडकर, जो साधारण बीमा कारोबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम 1972 की परिधि के भीतर आती है, सभी साधारण बीमा कपनियों पर लागू होंगे ।

2) परिभाषाएँ

इन विनियमों में जब तक कि संदर्भ के अनुसार अन्यथा अपेक्षित न हो:

अ) 'अधिनियम' से तात्पर्य बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का4) से है,

आ) 'प्राधिकरण' से तात्पर्य बीमा विनियामक और विकास प्राधिकारण अधिनियम, 1999 के परिच्छेद 3 के अंतर्गत स्थापित बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण से है;

इ) 'आवेदन पत्र' से तात्पर्य इसमें नीचे यथा परिभाषित प्रस्तावित योजना के साथ प्राधिकरण को प्रेषित आवेदन पत्र से है;

ई) 'नियत तिथि' से तात्पर्य साधारण बीमा कारोबार के समामेलन और अंतरण की योजना को लागू करने के प्रयोजन से नियत तिथि से है.

उ) 'विलयित संस्था' से तात्पर्य योजना के कार्यान्वयन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न भारतीय बीमा कंपनी से है,

ऊ) 'योजना' से तात्पर्य कंपनी अधिनियम 1956 के परिच्छेद 391–39 के अंतर्गत बनाई गई समामेलन और अंतरण की योजना से है, जो बीमा अधिनियम 1938 के परिच्छेद 37ए से शासित नही है,

ए) 'संव्यवहार–कर्ता–पक्षो' से तात्पर्य हस्तांतरण कर्ता कंपनी और हस्तांतरी कंपनी है जो बीमा अधिनियम 1938 के परिच्छेद 2(7)ए में यथा परिभाषित 'भारतीय बीमा कंपनी' है,

ऐ) 'हस्तांतरण कर्ता बीमा कर्ता' से तात्पर्य उस कंपनी अथवा इन कंपनियों से है जो समामेलन और अंतरण की योजना के अंतर्गत साधारण बीमा कारोबार के उपक्रम को अंतरित करेंगी ,

ओ) 'हस्तांतरी बीमा कर्ता' से तात्पर्य उस कंपनी से है जो कि समामेलन और अंतरण की योजना के अंतर्गत साधारण बीमा कारोबार के उपक्रम को अधिग्रहीत करेगी,

3. **प्राधिकरण को प्रेषित किया जाने वाला आवेदन पत्र**

i) इन विनियमों, के अधीन, योजना के कार्यान्वयन हेतु प्रत्येक प्रस्ताव, हस्तांतरण कर्ता पक्षो द्वारा प्राधिकरण को प्रस्तुत किए जाएंगे और उसके साथ मसौदा प्रस्तावित योजना भी भेजी जानी है जिसमें इन विनियमों के अनुबंध में यथा इंगित संबंधित जानकारी शामिल हो.

ii) इन विनियमों के अंतर्गत प्रत्येक योजना को प्राधिकरण के अंतिम अनुमोदन के पश्चात् ही कार्यान्वित किया जाएगा:

बशर्ते कि इन विनियमों के अधीन कोई भी ऐसी योजना अनुमोदित नहीं की जाएगी जिसके बारे में प्राधिकरण की राय है कि (1) विलयित संस्था का उपलब्ध शोध क्षमता मार्जिन अपेक्षित न्यूनतम विनियामक स्तर से कम होगा अथवा (2) योजना किन्ही अन्य लागू विधियों अथवा विनियमों का अनुपालन नही कर रही है अथवा (3) योजना, पॉलिसी धारको के सर्वोत्तम हित में नही है अथवा (4) योजना, बीमा क्षेत्र की समुचित वृद्धि में सहायक नही है.

4. **आशय की सूचना**

1) योजना के कार्यान्वयन हेतु, प्रत्येक आवेदन पत्र से पूर्व, आवेदन की तारीख से कम से कम एक माह पहले आवेदन करने के आशय की एक सूचन, प्राधिकरण को दी जानी होगी जिसके साथ समामेलन और अंतरण की प्रकृति तथा उसके कारणों की एक स्टेटमेंट तथा निम्नलिखित दस्तावेजों में से प्रत्येक की चार–चार प्रमाणित प्रतियाँ प्राधिकरण को भिजवाई जानी होंगी

क) करार अथवा विलेख का मसौदा, जिसके अंतर्गत समामेलन और अंतरण को कार्यान्वित किया जाना प्रस्तावित है,

ख) इस समामेलन और अंतरण से जुडे प्रत्येक बीमाकर्ता के बीमा कारोबार के संबंध में तुलन पत्र, जो कि बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा कंपनियों की वित्तीय स्टेटमेंट और लेखा परीक्षा रिपोर्ट तैयार करना) विनियम, 2002 में इंगित फार्म में तैयार किया जाना है,

ग) वित्तीय स्थिति रिपोर्ट, आइ बी एन आर रिपोर्ट तथा 13 मई 2010 के परिपत्र सं. आइ आर डी ए/ए सी टी एल/सी आई आर/ एम आइ एस सी/081/05/2010 तथा आइ बी एन आर रिपोर्ट प्रस्तुत करने से संबंधी परिपत्र तथा प्राधिकरण द्वारा जारी परिपत्रों एवं संबंधित विनियमावलियों जिनमें परिसंपत्तियाँ, देयताएँ और शोधक्षम मार्जिन विनियम भी शामिल है, मे की गई विभिन्न अपेक्षाओं के अनुरूप तैयार किया गया शोधक्षम स्टेटमेंट;

घ) प्रस्तावित समामेलन और अंतरण पर रिपोर्ट, जो ऐसे स्वतंत्र बीमा अंकक द्वारा तैयार की गई हो, जो कि रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने की तारीख से तीन वर्ष पहले तक कभी भी, किसी भी समय, समामेलन और अंतरण से जुडे किसी भी पक्ष के साथ, व्यावसायिक रूप से संबद्ध न रहा हो,

ङ) प्रस्तावित संव्यवहार की रूपरेखा/कार्यनिष्पादक सारांश और शर्ते जिन पर यह संव्यवहार परिकल्पित है,

च) किस रीति से पॉलिसी धारकों के हितोंकी रक्षा की जाएगी, इस पर एक रिपोर्ट,

छ) लागू विधियों (कानूनों) के अनुपालन पर रिपोर्ट जिनमें प्रतियोगिता अधिनियम, 2002 तथा रोजगार कानून का समावेश है परन्तु यही तक सीमित नही है,

2) खंड (बी)(सी) तथा (डी) में संदर्शित तुलन-पत्र रिपोर्ट तथा सारांश नियत तिथि के संदर्भ में तथा प्रोफार्मा आधार पर तैयार किए जाएंगे, ये नियत तिथि के सर्वाधिक निकटस्थ लेखा परीक्षित वित्तीय स्टेटमेंटें तथा (2) नवीनतम तिमाही की अ-लेखा परीक्षित वित्तीय स्टेटमेंट होंगी,

5) **प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित योजना पर विचार किया जाना तथा उसे सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया जाना.**

प्रस्तावित योजना को अंतिम अनुमोदन प्रदान करने से पूर्व प्राधिकरण कभी भी, किसी भी समय, संव्यवहार वाले पक्षों के बीमा कारोबार (जिसमें परिसंपत्तियां देयताएँ तथा शोधक्षम स्थिति शामिल है) का स्वतंत्र बीमांकिक मूल्यांकन करवा सकती है;

6. **प्राधिकरण द्वारा सैद्धांतिक अनुमोदन**

1) प्राधिकरण, इससे संतुष्ट होने पर, कि प्रस्तावित योजना:

i) बीमा क्षेत्र के क्रमिक विकास के हित में है.

ii) तथा प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित किसी ऐसे अनुपालन की पुष्टि होने पर जिसे कि प्राधिकरण अपने विनियामक अधिदेश केलिए जरूरी समझता हो, उन शर्तों पर पस्तावित योजना को सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान कर सकता है जिन्हे वह उपयुक्त समझाता हो.

2) ऐसा सौद्धान्तिक अनुमोदन प्रदान करते समय तथा कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत ' व्यवस्था की योजना' के लिए संव्यवहार पक्षों को न्यायालय का अनुमोदन मिलने के पूर्व की अवधि के दौरान प्राधिकरण जरूरी होने पर (क) पॉलिसी धारकों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित के लिए तथा (ख) संव्यवहार पक्षों की परिसम्पत्तियों की घेराबंदी जिनमें आवश्यकतानुसार निर्धारित अवधियों में सूचनाएँ/रिपोर्ट भिजवाना भी शामिल है, के लिए संव्यवहार पक्षों पर जैसा प्राधिकरण जरूरी और उपयुक्त समझे, कुछ अपेक्षाएँ लागू कर सकता है ।

अंतरिम अवधि में, योजना के पक्ष सुनिश्चित करेंगे कि बीमा परिचालन, बीमा अधिनियम, 1938 उसके अंतर्गत बनाए गए विनियमों तथा प्राधिकरण द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में की गई सभी अपेक्षाओं के अनुसार निष्पादित किए जाते है.

7. **सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने का प्रभाव**

1 सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान होने पर संव्यवहार पक्ष, प्रस्तावित योजना की प्रतियाँ पॉलिसी धारकों के निरीक्षण के लिए पंजीकृत कार्यालय तथा संव्यवहार पक्षों के मुख्य कार्पोरेट कार्यालय म रखेंगे और साथ ही इन प्रतियों को संबंधित बीमाकर्ताओं की वेबसाइट में अप-लोड किया जाएगा.

उपर्युक्त निरीक्षण और उक्त संदर्भित दस्तावेजों तक पहुँच योजना के पूर्ण कार्यान्वियन तक खुली रखी जाएगी

2. योजना को सैद्धांतिक अनुमोदन प्रादन होने पर योजना को अनुमोदनार्थ संबंधित न्यायालय/ट्रिब्यूनल (अधिकरण) को प्रस्तुत किए जाने से पूर्व प्राधिकरण योजना के स्वरुप और शर्तो की एक स्टेटमेंट कम से कम एक राष्ट्रीय दैनिक तथा एक स्थानीय समाचार पत्र में छपवाने के लिए तैयार करवाएगा और उनकी प्रतियाँ प्राधिकरण के पास फाइल की जाएंगी

3. इसके अतिरिक्त प्राधिकरण, यदि आवश्यक समझेगा, तो निर्देश देगा कि आवेदन पत्र की सूचना यथानिर्देशित स्वरुप में भारत के उन सभी निवासी व्यक्तियों को भेजी जाए जो कि इस प्रस्तावित संव्यवहार से जुडे किसी भी बीमाकर्ता की साधारण बीमा पॉलिसी के धारक है.

4. प्राधिकरण से सौद्धांतिक अनुमोदन प्राप्त होने पर योजना के संव्यवहार पक्ष अन्य अपेक्षित विनियमाक अनुमोदनों को प्राप्त करने के लिए कदम उठाएंगे जिनमें निम्नलिखित कदम शामिल है परन्तु उन्ही तक सीमित नही है --

क) कंपनी अधिनियम, 1956 के परिच्छेद 391 से 394 की शर्तो के अनुसार व्यवस्था योजना की पुष्टि हेतु तथा कंपनी (न्यायालय) नियमावली 1959 के अधीन सभी अपेक्षाओं के अनुपालन में व्यवस्था-योजना (प्राधिकरण के सैद्धांतिक अनुमोदन सहित) को संबंधित उच्च न्यायालय/ट्रिब्यूनल में फाइल करना,

ख) अपेक्षित अनुमोदन यदि कोई हों, को प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र, विदेशी निवेश प्रोत्साहन बोर्ड तथा भारतीय रिजर्व बैंक में फाइल करना.

ग) ऐसे मामलों में जहाँ कोई विदेशी संयुक्त उद्यम भागीदार भी संव्यवहार से जुडा है संबंधित कार्यक्षेत्र में विनियामक से अनुमोदन, बशर्ते ऐसे अनुमोदन की आवश्यकता हो, तथा

घ) जरूरी समझे जाने वाले अन्य अनुमोदन प्राप्त करना जिनमें भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) तथा भारतीय प्रतियोगित आयोग (सी सी आइ) के अनुमोदन शामिल है.

8. प्राधिकरण से अंतिम अनुमोदन

उपर्युक्त विनियमों के इंगित विभिन्न प्रक्रियाएँ पूरी होने पर तथा विभिन्न प्रयोज्य विनियामक प्राधिकरणों तथा संबंधित न्यायालय/अधिकरण (ट्रिब्यूनल) से जैसा लागू हो, अनुमोदन प्राप्त होने पर संव्यवहार पक्ष योजना के अंति अनुमोदन के लिए प्राधिकरण के पास जाएंगे. प्राधिकरण सुनिश्चित करेगा कि अंतिम रुप से अनुमोदि योजना ऐसी सब अपेक्षाओं और शर्तो के समानुरुप हैं जो कि अन्य सक्षम प्राधिकारियों द्वारा उपर्युक्त अनुच्छेद 7(4) के अनुसार अपना विनियामक अनुमोदन प्रदान करते समय लगाई जा सकती थी.

9. अंतिम अनुमोदन का प्रभाव

1. साधारण बीमा कारोबार का समामेलन और अंतरण, जैसा कि योजना में परिकल्पित है, उस दिनांक से प्रभावी होगी जो कि प्राधिकरण द्वारा योजना को अंतिम अनुमोदन प्रदान करते समय विनिर्दिष्ट की जाएगी

2. योजना अथवा उसके किसी प्रावधान के परिचालन में आने की तारीख को और उस तारीख से, योजना अथवा उसके प्रावधान संव्यवहारकर्ता बीमाकताओं तथा साथ ही सभी शेयर-धारकों पॉलिसीधारकों तथा अन्य लेनदारों और प्रत्येक संव्यवहारकर्ता बीमाकताओं के कर्मचारियों तथा ऐसे हर उस व्यक्ति पर लागू होंगे जिसकी किसी भी संव्यवहाकर्ता बीमाकर्ता के संबंध में कोई अधिकार अथवा कोई देतया है.

3. योजना के परिचालन में आने की तारीक को तथा उस तारीख से अंतरणकर्ता बीमाकर्ता की सभी संपत्तियां एवं आस्तियाँ योजना को कारण तथा उसमें प्रावधानित सीमा तक, अंतरित और निहित मानी जाएंगी तथा अंतरणकर्ता बीमाकर्ता की सभी देयताएँ योजना के कारण तथा उसमें प्रावधानित सीमा तक अंतरिती बीमाकर्ता को अंतरित मानी जाएंगी और उसकी देयताएँ हो जाएंगी

4. प्रक्रिया पूर्ण होने के बारे में समाचार-पत्रों में सूचना का प्रकाशन (कम से कम एक राष्ट्रीय दैनिक तथा एक स्थानीय समाचार पत्र में जिनकी प्रतियाँ प्राधिकरण में फाइल की जाएंगी)

5. यदि योजना के प्रावधानें को लागू करने मे कोई कठिनाई आती है तो प्राधिकरण, आदेश द्वारा ऐसे निर्देश जारी कर सकता है जो इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए अथवा कार्य में तेजी लाने के लिए उसे जरुरी लगते हो.

6. प्रत्येक प्रकरण के तथ्यों और स्थितियों इसके विनियामक उद्धेश्यों पॉलिसीधारकों के हितों, तथा बीमाक्षेत्र की सुव्यवस्थित वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण अपने द्वारा अनुमोदित की जाने वाली योजना में शामिल उपायों की क्रमबद्धता के संबंध में जरुरी समझे जाने वाले निर्देश जारी कर सकती है ।

10. आवेदन पत्र की प्रक्रिया (प्रोसेसिंग) के लिए शुल्क (फीस)का भुगतान ।

सौद्धांति अनुमोदन के लिए आवेदन पत्र की प्रोसेसिंग के लिए शुल्क संव्यवहार-पक्षों द्वारा,बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के पक्ष में आहरित, हैदराबाद पर देय, किसी अनुसूचित वाणिज्य बैंक द्वारा जारी बैंक ड्राफ्ट के रुप में, संयुक्त रुप से अदा किया जाएगा.

जिस वित्तीय वर्ष में प्राधिकरण के पास आवेदन पत्र जमा करवाया जाता है, उससे पिछले वर्ष के दौरान संव्यवहार कर्ता संस्थाओं द्वारा भारत में सीधे लिखित कुल सकल प्रीमियम के एक प्रतिशत का दसवाँ हिस्सा शुल्क के रुप में देना होगा जो कि न्यूनतम 50 लाख रुपए होगा और अधिकतम 5 करोड़ रुपए होगा

11. समय:

प्राधिकरण समामेलन और अंतरण आवेदन पत्र की प्रोसेसिंग तथा उस पर उपयुक्त आदेश जारी करने का कार्य यथा संभव शीघ्रत से करेगा और संव्यवहार कर्ता पक्ष, प्राधिकरण द्वारा मांगी गई जानकारी के अनुरोधों तथा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर शीघ्रता से भिजवाने की कार्रवाई करेंगे ताकि प्रोसेसिंग का कार्य यशाशीध्र किया जा सके

जे. हरि नारायण, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/4/161/11/असा.]

अनुबंध

समामेलन और अंतरण की योजना

प्रस्ताव दस्तावेज के भाक के रुप में जानकारी

1. संव्यवहार कर्ता पक्षों की संरचना

2. संव्यवहार कर्ता पक्षों के निदेशक मंडलों के संकल्प जिनमें संव्यवहार लागू करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों को अनुमोदन दिया गया हो, जिनके परिणाम स्वरुप संबंधित संव्यवहार पक्षों की संरचना में परिवर्तन आएगा

3. संव्यवहार पक्षों की साधारण बैठक मे एक विशेष संकल्प के जरिए, योजना में परिकल्पित अंतरण के आगे, बढ़ाने के अपने आशय के बारे में शेयरधारकों से लिए गए पुष्टि पत्रों का प्रेषण.

4. पॉलिसी धारकों, लेन दारो तथा/अथवा संव्यवहार कर्ता पक्षों के शेयरधारकों के हितों की रक्षा संबंधी विवरण

5. परिणामी संस्था के निदेशक मंडल की संरचना तथा साथ ही वरिष्ट प्रबंधन की भूमिका

6. प्राधिकरण द्वारा जारी कॉर्पोरेट गवर्नेंस संबंध दिशा निर्देशों का अनुपालन

7. प्रस्तावित योजना के संबंध में अन्य विनियामक अनुमोदनों का विवरण

    i) प्रस्तावित योजना के संबंध में अन्य विनियामकों को प्रेषित आवेदन पत्र–जब जब अन्य विनियामकों के पास उन्हें फाइल किया गया

    ii) इस संबंध में अन्य विनियामकों द्वारा प्रदान किए गए अनुमोदन

8. संव्यवहारकार्ता पक्षों द्वारा साधारण बीमा कारोबार के अंतरण/अधिग्रहण के संबंध में शेयर खरीद/अभिदान (सब्सिक्रप्शन) करार

9. अंतरित कारोबार के लिए प्रबंधन और गवर्नेंस व्यवस्थाओं के संबंध में शेयर धारक करार यदि कोई हो तो

10. संव्यवहार पक्षों के बीमाकारोबारों के मूल्यांकन पर बीमांकिक रिपोर्ट, जिनमें परिसंपत्तियाँ, देयताएँ, तथा शोधक्षम स्थिती शामिल हो

11. 'फाईल एंड यूझ' दिशानिर्देशों के अनुसरण में उत्पादों की वर्तमान श्रेणी का तार्किकी करण

12. वितरण सरणियों/मध्यस्थों तथा शाखानेटवर्क पर प्रभाव का आकलन

13. पुनर्बीमा कार्यनीतियों तथा पुनर्बीमा परिसंपत्तियों की सुरक्षा और रख–रखाव के विवरण.

14. प्रमुख ठेकों पर योजना का प्रभाव

15. सूचना प्रौद्योगिकी से जुडे मुद्दे

16. योजना की नियत तिथि का समामेलित संस्थाओं के अनुमानित वित्तीय विवरण

17. ऐसी अन्य जानकारी, जिसकी जरुरत, प्राधिकरण को, योजना को अंतिम–अनुमोदन प्रदान करने तक, समय समय पर पडे

INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY

(Scheme of Amalgamation and Transfer of General Insurance Business) Regulations, 2011

NOTIFICATION

Hyderabad, the 20th May, 2011

F. No. IRDA/Reg/1/55/2011.— *In exercise of the powers conferred by clause (zc) of sub-section (2) of Section 114 A of the Insurance Act 1938 (4 of 1938) read with sections 6A, 14 and 26 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999) in consultation with the Insurance Advisory Committee, hereby makes the following regulations namely;*

1. **Short title and commencement**
    1. These regulations may be called the Insurance Regulatory and Development Authority (Scheme of Amalgamation and Transfer of General Insurance Business) Regulations, 2011.
    2. They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.
    3. These Regulations shall apply to all general insurance companies other than wholly owned Government companies which fall within the purview of General Insurance Business (Nationalization) Act, 1972

2. Definitions

In these regulations, unless the context otherwise requires:

a. 'Act' means the Insurance Act, 1938 (4 of 1938);
b. 'Authority' means Insurance Regulatory and Development Authority established under Section 3 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999;
c. 'application' means application submitted to the Authority along with proposed Scheme as defined hereunder;
d. 'appointed date' means the date appointed for purposes of giving effect to the scheme of amalgamation and transfer of general insurance business;
e. 'merged entity' means the resultant Indian Insurance Company consequent upon the implementation of the Scheme;
f. 'Scheme' means scheme of amalgamation and transfer formulated under Sections 391-394 of The Companies Act, 1956 and not governed by Section 37A of the Insurance Act 1938;
g. 'transacting parties' means the transferor company and the transferee company which are 'Indian Insurance Company' as defined in Section 2(7)A of the Insurance Act 1938;
h. 'transferor insurer' means the company or companies, which would transfer the undertaking of general insurance business under the Scheme of amalgamation and transfer;
i. 'transferee insurer' means the company, which would acquire the undertaking of general insurance business under the Scheme of amalgamation and transfer.

3. Application to be submitted to the Authority

1. Every proposal for implementation of the Scheme under these Regulations shall be submitted by the transacting parties to the Authority along with the draft proposed Scheme containing related information as indicated in the Annexure to these Regulations.

2. Every Scheme under these regulations shall be implemented only after final approval of the Authority:

Provided that no Scheme under these regulations shall be approved if in the opinion of the Authority (i) the available solvency margin of the merged entity will be lower than the required minimum regulatory level or (ii) the Scheme is not compliant with any other applicable laws and regulations or (iii) the Scheme is not in the best interests of the policyholders or (iv) is not conducive to the orderly growth of the insurance sector.

4. Notice of Intention

1. Every application for implementation of the Scheme shall be preceded by a notice of the intention to make the application at least one month before the date of application, together with a statement of the nature of the amalgamation and transfer, along with the reasons therefor to the Authority and certified copies, four in number, of each of the following documents shall be furnished to the Authority:

(a) a draft of the agreement or deed under which it is proposed to effect the amalgamation and transfer;
(b) balance-sheets in respect of the insurance business of each of the insurers concerned in such amalgamation and transfer, prepared in the form as indicated in the IRDA (Preparation of Financial Statements and Auditor's Report of Insurance Companies) Regulations, 2002;
(c) Financial Condition Report; IBNR Report; and Solvency Statement prepared in conformity with the requirements of relevant regulations and Circulars issued by the Authority, including Assets, Liabilities and Solvency Margin Regulations, Circular No. IRDA/ACTL/CIR/MISC/081 /05/2010 dated 13th May, 2010; and Circular on furnishing of IBNR Reports;
(d) a report on the proposed amalgamation and transfer, prepared by an independent actuary who has not been professionally connected with any of the parties concerned in the amalgamation and transfer at any time in the three years preceding the date on which he signs his report;
(e) a synopsis / executive summary of the proposed transaction, and the terms on which such transaction has been contemplated;
(f) a report on the manner in which the interest of the policyholders will be protected; and

a report on compliance with the applicable laws, including but not restricted to, the Competition Act, 2002 and the employment laws.

2. The balance sheets, reports and abstracts referred to in clauses (*b*), (*c*) and (*d*) shall be prepared as at the appointed date, on a pro-forma basis. These shall be (i) audited financial statements most proximate to the appointed date and (ii) latest quarter's unaudited financial statements.

5. **Consideration of proposed Scheme by the Authority and granting 'in-principle' approval.**

The Authority may, at any time prior to granting final approval to the proposed Scheme, cause an independent actuarial valuation of the insurance business (encompassing the assets, liabilities and solvency position) of the transacting parties.

6. **In-principle approval by the Authority**

1. The Authority, on being satisfied that the proposed Scheme is (i) in the interests of the orderly growth of the insurance sector, and (ii) on confirmation of compliance with any requirements as the Authority may deem fit in the context of its regulatory mandate, may grant in-principle approval to the proposed Scheme subject to such conditions as it may consider appropriate.

2. While granting such in-principle approval and during the period prior to the transacting parties receiving the Court approval for the scheme of arrangement under the Companies Act 1956, the Authority may, if so required, impose such requirements on the transacting parties as it may consider necessary and appropriate (a) to ensure protection of the interests of the policyholders; and (b) to ring fence the assets of the transacting entities including stipulations for filing of information/reports at such periodicities as it may deem fit.

3. During the interim period, the parties to the Scheme shall ensure that the insurance operations are carried out in compliance with all requirements of the Insurance Act, 1938, the regulations framed thereunder and the directions issued by the Authority.

7. **Effect of grant of 'In-Principle' approval**

1. Upon grant of 'in-principle' approval, the transacting parties shall cause copies of the proposed Scheme to be kept open for inspection by policyholders at the registered office and the main corporate office of the transacting parties, and simultaneously the same shall be uploaded on the website of the respective insurers. Such inspection and access to the documents referred to above shall be kept open until the complete implementation of the Scheme.

2. Upon grant of 'in-principle' approval to the Scheme and prior to the said Scheme being presented to the relevant Court / Tribunal for approval, the Authority shall cause a statement of the nature and terms of the Scheme to be published in at least one National Daily and one vernacular newspaper, copies of which shall be filed with the Authority.

3. Further, the Authority, if it deems necessary, may direct that notice of the application, in such form as it may direct, be sent to every person resident in India who is the holder of a general insurance policy of any of the insurer concerned in the proposed transaction.

4. Upon receipt of the 'in-principle' approval of the Authority, the transacting parties to the Scheme would initiate steps to seek such other regulatory approvals as may be required including but not restricted to –

   a. Filing the scheme of arrangement (along with the 'in-principle' approval of the Authority) with the relevant High Courts/Tribunal, for confirmation of the scheme of arrangement in terms of sections 391 to 394 of the Companies Act, 1956 and compliance with all requirements under the Companies (Court) Rules, 1959.

   b. Filing applications with the Foreign investment Promotion Board (FIPB) and the Reserve Bank of India (RBI) seeking requisite approvals, if any;

   c. In cases where a foreign joint venture partner is also associated with the transaction, approval from the regulator in the relevant jurisdiction, if such approval is required; and

d. Seek such other approvals as may be necessary, including those from the Securities and Exchange Board of India (SEBI), Stock Exchange(s) and Competition Commission of India (CCI).

8. **Final approval from the Authority**

On completion of the various processes indicated in the foregoing Regulations and upon receipt of approvals from various applicable regulatory authorities and the relevant Court/Tribunal, as applicable, the transacting parties shall approach the Authority for the final approval of the Scheme. The Authority would ensure that the Scheme as finally approved is consistent with such requirements or stipulations as might have been imposed by the other competent authorities while according their regulatory approval as in para 7 (4) above.

9. **Effect of final approval**

1. The amalgamation and transfer of the general insurance business, as envisaged in the Scheme, shall be effective from such date as shall be specified by the Authority while granting its final approval to the Scheme.

2. On and from the date of the coming into operation of the Scheme or any provision thereof, the Scheme or such provision shall be binding on the transacting insurers and also on all the shareholders, policyholders and other creditors and employees of each of the transacting insurers, and on any other person having any right or liability in relation to any of the transacting insurers.

3. On and from the date of the coming into operation of the Scheme, the properties and assets of the transferor insurer shall, by virtue of and to the extent provided in the Scheme, stand transferred to and vest in, and the liabilities of the transferor insurer shall, by virtue of and to the extent provided in the Scheme, stand transferred to and become the liabilities of the transferee insurer.

4. Publication of Notice in the newspapers about completion of the process (at least one national Daily and one vernacular, copies of which shall be filed with the Authority).

5. If any difficulty arises in giving effect to the provisions of the Scheme, the Authority may by order issue such directions which appear to it necessary or expedient for the purpose of removing the difficulty.

6. The Authority may issue such directions as it deems fit, taking into account the facts and circumstances of each case, its regulatory objectives, the interests of policyholders and orderly growth of the insurance sector, in relation to any sequencing of measures involved in the Scheme being approved by it.

10. **Payment of fees for processing of the application**

The fees for the processing of the application for an 'in-principle' approval shall be jointly remitted by the parties to the transaction by a demand draft issued by a scheduled bank in favour of the Insurance Regulatory and Development Authority payable at Hyderabad. The fees shall be one-tenth of one per cent of the total gross premium written direct in India by the transacting entities during the financial year preceding the financial year in which the application is filed with the Authority which shall be subject to a minimum of fifty lakh rupees, but shall not be higher than five crore rupees.

11. **Timing**

The Authority shall process and pass appropriate order on the application for amalgamation and transfer as expeditiously as possible, and the transacting parties shall ensure prompt response to the queries and requests for information from the Authority for processing the application.

J. HARI NARAYAN, Chairman

[ADVT III/4/161/11/Exty.]

d. Seek such other approvals as may be necessary, including those from the Securities and Exchange Board of India (SEBI), Stock Exchange(s) and Competition Commission of India (CCI).

8. **Final approval from the Authority**

On completion of the various processes indicated in the foregoing Regulations and upon receipt of approvals from various applicable regulatory authorities and the relevant Court/Tribunal, as applicable, the transacting parties shall approach the Authority for the final approval of the Scheme. The Authority would ensure that the Scheme as finally approved is consistent with such requirements or stipulations as might have been imposed by the other competent authorities while according their regulatory approval as in para 7 (4) above.

9. **Effect of final approval**

1. The amalgamation and transfer of the general insurance business, as envisaged in the Scheme, shall be effective from such date as shall be specified by the Authority while granting its final approval to the Scheme.

2. On and from the date of the coming into operation of the Scheme or any provision thereof, the Scheme or such provision shall be binding on the transacting insurers and also on all the shareholders, policyholders and other creditors and employees of each of the transacting insurers, and on any other person having any right or liability in relation to any of the transacting insurers.

3. On and from the date of the coming into operation of the Scheme, the properties and assets of the transferor insurer shall, by virtue of and to the extent provided in the Scheme, stand transferred to and vest in, and the liabilities of the transferor insurer shall, by virtue of and to the extent provided in the Scheme, stand transferred to and become the liabilities of the transferee insurer.

4. Publication of Notice in the newspapers about completion of the process (at least one national Daily and one vernacular, copies of which shall be filed with the Authority).

5. If any difficulty arises in giving effect to the provisions of the Scheme, the Authority may by order issue such directions which appear to it necessary or expedient for the purpose of removing the difficulty.

6. The Authority may issue such directions as it deems fit, taking into account the facts and circumstances of each case, its regulatory objectives, the interests of policyholders and orderly growth of the insurance sector, in relation to any sequencing of measures involved in the Scheme being approved by it.

10. **Payment of fees for processing of the application**

The fees for the processing of the application for an 'in-principle' approval shall be jointly remitted by the parties to the transaction by a demand draft issued by a scheduled bank in favour of the Insurance Regulatory and Development Authority payable at Hyderabad. The fees shall be one-tenth of one per cent of the total gross premium written direct in India by the transacting entities during the financial year preceding the financial year in which the application is filed with the Authority which shall be subject to a minimum of fifty lakh rupees, but shall not be higher than five crore rupees.

11. **Timing**

The Authority shall process and pass appropriate order on the application for amalgamation and transfer as expeditiously as possible, and the transacting parties shall ensure prompt response to the queries and requests for information from the Authority for processing the application.

J. HARI NARAYAN, Chairman

[ADVT III/4/161/11/Exty.]

Annexure

Scheme of Amalgamation and Transfer
Information to form part of the Proposal Document

1. Structure of the transacting parties.
2. Board Resolution of the transacting parties approving the steps to undertake transactions which would result in change of structure of the respective transacting parties.
3. Submission of confirmations by shareholders through a special resolution at a general body meeting of the transacting parties about their intent to pursue the transfer contemplated in the Scheme.
4. Details as to protection of interests of policyholders, creditors and/or shareholders of the transacting parties.
5. Composition of Board of directors of the resultant entity along with the role of senior management.
6. Compliance with the Guidelines on the Corporate Governance issued by the Authority.
7. Details of other regulatory approvals in respect of the proposed scheme
    (i) applications submitted to the other Regulators in respect of to the proposed scheme as and when they are filed with other Regulators
    (ii) approvals granted by the other Regulators in this regard
8. Share Purchase/Subscription Agreement with respect to the transfer/acquisition of general insurance business by the transacting parties.
9. Shareholders' Agreement with respect to the management and governance arrangements, if any, for the transferred business.
10. Actuarial Report(s) on valuation of the insurance businesses of the transacting parties encompassing the assets, liabilities and solvency position.
11. Rationalization of existing range of products in accordance with the File & Use Guidelines.
12. Assessment of impact on Distribution Channels/Intermediaries and Branch Network.
13. Details of Reinsurance Strategies and Protection & Maintenance of Reinsurance Assets.
14. Implication of the Scheme on the Key Contracts.
15. Issues pertaining to the Information Technology.
16. Projected Financial Statements of the amalgamated entities, as at the appointed date of the scheme.
17. Such other information which the Authority may require from time to time till the grant of final approval to the Scheme.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.